

विचार बिन्दु

हम यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। इसीलिए अपने भूत का कैदी बनना छोड़िये। अपने भविष्य के निर्माता बनि। -रोबिन शर्मा

राजस्थान के छोटे उद्योगों पर भारी होती आर्थिक चुनौतियां

राजस्थान की अर्थव्यवस्था सदियों से परिश्रम, संसाधनशीलता और परंपरागत कौशल पर आधारित रही है। यह भूमि केवल रोगिस्तान ही नहीं, बल्कि कारीगरी, हस्तशिल्प, खनन और सूक्ष्म उद्योगों की भी भूमि है। राज्य के हजारों छोटे उद्योग न केवल स्थानीय रोजगार का आधार हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी हैं। किंतु पिछले कुछ वर्षों में बदलते आर्थिक समीकरणों, बढ़ती महंगाई, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और प्रशासनिक चुनौतियों ने छोटे उद्योगों की दुनिया को गहराई तक प्रभावित किया है। आज राजस्थान में हजारों छोटे उद्योग अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।

राजस्थान में जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, अलवर और पाली जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में छोटे उद्योगों का बड़ा जाल फैला हुआ है। इनमें टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, मेटलवर्क, ज्वेलरी, स्टेन कटिंग, ऑयल मिल्स, इबल प्रोडक्ट्स और डेयरी जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं। इनसे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार मिलता था, परंतु आज कई इकाइयाँ आर्थिक दबाव के कारण बंद होने की कगार पर हैं। कोरोना-कालीन मंदा ने इनकी रीढ़ तोड़ दी थी और उसके बाद से अब तक यह क्षेत्र पूरी तरह गति नहीं पकड़ पाया है।

छोटे उद्योगों के सामने सबसे बड़ी समस्या पूंजी की उपलब्धता की है। बैंक ऋण की जटिल प्रक्रिया, उच्च ब्याज दरें और गिरवी शर्तों ने अनेक उद्योगों का उत्साह तोड़ दिया है। कई मामलों में सरकारी योजनाएँ केवल कागज़ों तक सीमित हैं। 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' या 'मुद्रा योजना' जैसी पहलें शुरू में राहत देने के लिए बनी थीं, परंतु उनके लाभ सभी तक नहीं पहुँच पाए। ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के उद्यमी आज भी मित्रों या स्थानीय साहूकारों से ऊँचे ब्याज पर पूंजी लेने को विवश हैं। यह स्थिति उनके भविष्य को और कमजोर करती है।

बढ़ती ऊर्जा लागत भी इन उद्योगों पर भारी पड़ रही है। बिजली, डीजल और कच्चे माल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से उत्पादन लागत असहनीय हो गई है। राजस्थान के कई हिस्सों में औद्योगिक बिजली दरें देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक हैं। छोटे उद्योग, जिनके पास कम पूंजी और सीमित संसाधन हैं, इस महंगी लागत को वहन नहीं कर पा रहे। परिणामस्वरूप, कई इकाइयाँ अपना उत्पादन घटा रही हैं या अस्थायी तौर पर बंद कर चुकी हैं।

तकनीकी विकास और ऑनलाइन बाजार के विस्तार ने व्यापार को नया रूप दिया है, लेकिन छोटे उद्योग इस बदलाव के साथ तालमेल नहीं बना पा रहे। डिजिटलीकरण की कमी, ऑनलाइन मार्केटिंग का अभाव और तकनीकी प्रशिक्षण न होने के कारण ये उद्योग प्रतिस्पर्धा से पिछड़ रहे हैं। जयपुर की हैंडीक्राफ्ट इकाइयाँ या भीलवाड़ा के छोटे वस्त्र उत्पादक अब ग्लोबल मार्केट तक पहुँचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि बड़ी कंपनियाँ ई-कॉमर्स और ब्रांडिंग के सहारे तेजी से आगे बढ़ रही हैं।

इसके साथ ही, श्रमिक पलायन भी एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है। गाँवों से शहरों की ओर, अथवा अन्य राज्यों में बेहतर आय की तलाश में मजदूरों का पलायन बढ़ा है। इससे उत्पादन क्षमता पर सीधा असर पड़ा है। राजस्थान के छोटे कारखानों में कुशल श्रमिकों की कमी अब एक सामान्य बात हो गई है। श्रमशक्ति की यह कमी न केवल उत्पादन घटा रही है, बल्कि कार्यशील पूंजी पर भी अतिरिक्त दबाव बना रही है।

छोटे उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएँ संचालित की हैं, जैसे 'राजस्थान औद्योगिक विकास नीति', 'लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना', और 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' पहल। इनसे कुछ हद तक राहत मिली है, परंतु अभी भी नीति निर्माण और क्रियान्वयन के बीच बड़ी खाई है। अनेक बार लाभ केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित रह जाते हैं, जबकि वास्तविक रूप से सहायता की आवश्यकता छोटे कस्बों और ग्रामीण इकाइयों को होती है। दस्तावेजों की जटिल प्रक्रिया, सरकारी कार्यालयों के चक्कर, और समय पर धुगतान न मिलने से उद्योगियों का मनोबल गिरता जा रहा है।

राजस्थान का उद्योग परिदृश्य केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक अर्थों में भी महत्वपूर्ण है। छोटे उद्योगों ने स्थानीय परंपराओं, लोककला और पारिवारिक रोजगार संस्कृति को जीवित रखा है। यदि ये उद्योग बंद होते हैं, तो केवल रोजगार ही नहीं, हमारी परंपरागत पहचान भी खतरे में पड़ जाएगी। बारीक नक्काशी, ब्लू पॉटरी, बंद, खादी, या जूट वर्क-ये सभी केवल उत्पाद नहीं, बल्कि राजस्थान की आत्मा हैं।

अतः इन्हें संरक्षित रखना आवश्यक है। नीति निर्माण और क्रियान्वयन के बीच बड़ी खाई है। अनेक बार लाभ केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित रह जाते हैं, जबकि वास्तविक रूप से सहायता की आवश्यकता छोटे कस्बों और ग्रामीण इकाइयों को होती है। दस्तावेजों की जटिल प्रक्रिया, सरकारी कार्यालयों के चक्कर, और समय पर धुगतान न मिलने से उद्योगियों का मनोबल गिरता जा रहा है। राजस्थान का उद्योग परिदृश्य केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक अर्थों में भी महत्वपूर्ण है। छोटे उद्योगों ने स्थानीय परंपराओं, लोककला और पारिवारिक रोजगार संस्कृति को जीवित रखा है। यदि ये उद्योग बंद होते हैं, तो केवल रोजगार ही नहीं, हमारी परंपरागत पहचान भी खतरे में पड़ जाएगी। बारीक नक्काशी, ब्लू पॉटरी, बंद, खादी, या जूट वर्क-ये सभी केवल उत्पाद नहीं, बल्कि राजस्थान की आत्मा हैं। अतः इन्हें संरक्षित रखना आवश्यक है।

अर्थिक पुनर्जीवन के लिए अब केवल प्रोत्साहन घोषणाओं से अधिक व्यावहारिक कदम उठाने की आवश्यकता है। छोटे उद्योगों के लिए सस्ती ऋण सुविधा, ऊर्जा लागत पर सब्सिडी, आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का सरल उपयोग, और स्थानीय स्तर पर विपणन केंद्र स्थापित करना समय की माँग है। साथ ही, स्कूलों और कॉलेजों में उद्यमिता शिक्षा को प्रोत्साहन देना भी जरूरी है, ताकि नई पीढ़ी इन पारंपरिक उद्योगों को त्यागने के बजाय आधुनिक रूप में आगे बढ़ सके।

आज जोधपुर का फनीचर उद्योग, पाली की टेक्सटाइल इकाइयाँ, अलवर के इंजीनियरिंग पार्ट्स निर्माता, और भीलवाड़ा के कपड़ा उत्पादक - सभी इसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। यदि सरकार और समाज मिलकर सहायता का हाथ बढ़ाएँ, तो ये उद्योग न केवल पुनर्जीवित हो सकते हैं, बल्कि राज्य को आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर भी कर सकते हैं।

छोटे उद्योगों का अर्थ केवल आर्थिक आंकड़े नहीं हैं; ये मानवीय परिश्रम, हुनर और जीवन का प्रतीक हैं। राजस्थान के श्रमिक और कारीगर अपनी मेहनत से रेत के टीलों में भी समृद्धि के बीज बोने की क्षमता रखते हैं। यदि उन्हें सही अवसर, सुरक्षा और प्रोत्साहन मिले, तो राज्य की औद्योगिक तस्वीर फिर से उजली हो सकती है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि नीति का फोकस केवल बड़े औद्योगिक निवेशों पर नहीं, बल्कि छोटे उद्यमों की संरचना पर केंद्रित हो। स्थानिक यही उद्योग राजस्थान की मिट्टी से जुड़ी वह शक्ति हैं, जो न केवल अर्थव्यवस्था को, बल्कि समाज की आत्मा को भी जीवित रखे हुए हैं। उनके बचाव में उठाया गया हर कदम न केवल आर्थिक पुनर्निर्माण की दिशा है, बल्कि सांस्कृतिक स्वाभिमान की पुनर्स्थापना भी है।

-अतिथि संपादक, अविनाश जोशी, वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉर्पोरेट सलाहकार



रोटेरियन सुनील दत्त गोयल

यह समय भावनाओं की नहीं, प्रमाणों की राजनीति का है-भारत की जनसंख्या बनावट बदल रही है, परिवार-निर्णयों की धुरी खिसक रही है, और यदि आज निर्णय नहीं लिए गए तो कल संस्कार-श्रृंखला और समाज-आधार दोनों दुबल होंगे; यह केवल सामाजिक प्रश्न नहीं, सनातन की जीवन-धारा पर सीधी चुनौती है। 2011 की जनगणना, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे और मान्य अंतरराष्ट्रीय आकलन स्पष्ट संकेत दे चुके हैं-उत्तरदायित्व अब हमारे हाथ में है। धर्म-वार अनुपात पर अंतिम आधिकारिक तस्वीर 2011 की जनगणना है-इसकी अनुपात हिंदू 79.8%, मुस्लिम 14.23%, ईसाई 2.30%, सिख 1.72%, बौद्ध 0.70%, जैन 0.37% और शेष अन्य/अनिर्दिष्ट; जिम्मेदार विमर्श को जब तक नई गणना न आए, इसी आधार पर टिकना होगा-अनुमानों पर नहीं। हिस्सेदारी के बदलाव एकल कारण से नहीं होते, बल्कि जन्मदर, शिक्षा, शहरीकरण, रोजगार और प्रवासन जैसे संरचनात्मक कारकों के संयुक्त प्रभाव से बनते-विगडते हैं; अतः रणनीति भावनात्मक

इसके साथ ही, श्रमिक पलायन भी एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है। गाँवों से शहरों की ओर, अथवा अन्य राज्यों में बेहतर आय की तलाश में मजदूरों का पलायन बढ़ा है। इससे उत्पादन क्षमता पर सीधा असर पड़ा है। राजस्थान के छोटे कारखानों में कुशल श्रमिकों की कमी अब एक सामान्य बात हो गई है। श्रमशक्ति की यह कमी न केवल उत्पादन घटा रही है, बल्कि कार्यशील पूंजी पर भी अतिरिक्त दबाव बना रही है।

छोटे उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएँ संचालित की हैं, जैसे 'राजस्थान औद्योगिक विकास नीति', 'लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना', और 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' पहल। इनसे कुछ हद तक राहत मिली है, परंतु अभी भी नीति निर्माण और क्रियान्वयन के बीच बड़ी खाई है। अनेक बार लाभ केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित रह जाते हैं, जबकि वास्तविक रूप से सहायता की आवश्यकता छोटे कस्बों और ग्रामीण इकाइयों को होती है। दस्तावेजों की जटिल प्रक्रिया, सरकारी कार्यालयों के चक्कर, और समय पर धुगतान न मिलने से उद्योगियों का मनोबल गिरता जा रहा है।



अशोक कुमार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में महाविद्यालयों की स्वायत्तता को भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार और गुणवत्ता लाने के लिए एक केंद्रीय स्तंभ माना गया है। नीति का उद्देश्य संबद्धता (Affiliation) की वर्तमान प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और संस्थानों को स्वायत्तता की ओर ले जाना है। NEP 2020 का मुख्य लक्ष्य यह है कि वर्ष 2035 तक सभी उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) को पूर्ण संस्थागत स्वायत्तता प्राप्त हो जाए। लक्ष्य: NEP 2020 का मुख्य

नहीं, प्रमाण-आधारित होनी चाहिए। परिवार और : विलंब की वास्तविक कीमत : कुल प्रजनन दर TFR प्रतिस्थापन स्तर से नीचे 2.0 तक आ चुकी है-अर्थ स्पष्ट है: स्थिरिकरण के बाद वृद्धावस्था तेजी से उभरेगी और पीढ़ीगत सहारा-तंत्र पर दबाव बढ़ेगा; यदि विवाह और मातृत्व/पितृत्व लगातार घटते रहे, तो दादा-पोते का स्वाभाविक सेतु दुर्लभ होता जाएगा, संस्कार-प्रवाह कमजोर होगा। यह स्थिति कम बच्चे से अधिक बहुत देर से निर्णय का परिणाम बन रही है-इसे पहचाने बिना समाधान नहीं मिलेगा। शिक्षा-स्वास्थ्य की लागत: अदृश्य लेकिन निर्णायक बोझ : निजी शिक्षा एवं सामान्य स्वास्थ्य में खर्च और फीस बढ़ोतरी मध्यम वर्ग को दूसरे बच्चे के निर्णय से पीछे धकेलती है; सार्वजनिक ढाँचे पर भरोसा बहाल न होने से परिवार लागत-भय में फँसता है और यही भय जनसांख्यिकी को दिशा देता है। स्वास्थ्य में जब से सीधा खर्च ऊँचा रहने के कारण एक गंभीर बोझारी परिवार की वर्षों की बचत खा जाती है-यह अदृश्य बोझ परिवार-आकार, वृद्ध-देखभाल और भविष्य-निवेश जैसे निजी निर्णयों तक पहुँचकर समाज-स्तर की प्रवृत्ति बना देता है; बजट विश्लेषण लगातार इसी चेतना की ओर संकेत करता है। प्रवासन: पुल बनाएँ-दरार नहीं उच्च शिक्षा के लिए 13 लाख से अधिक भारतीय छात्र विदेश जा चुके हैं; यह शैक्षिक प्रवास अक्सर दीर्घकालिक बसावट में बदलता है-देश के भीतर विवाह-परिवार-जन्मदर की धारा पर इसका अप्रत्यक्ष असर वास्तविक है। समाधान-विकल्प नहीं,

संकुलर मोबिलिटी है-ऐसा नीति-तंत्र को वापसी को सम्मान, अवसर नहीं, स्थिरता दे। रिसर्च फंडिंग, उद्योग-अकादमी क्लस्टर और उच्च-कौशल नौकरियों का स्थानीय इकोसिस्टम जितना समृद्ध होगा, उतनी ही संभावना कि कौशल भी लौटे और परिवार-निर्णय भी भारत-केंद्रित हों। पासपोर्ट और मंत्रालयीय संचार इस फैलाव की चौड़ाई दर्ज कर रहे हैं-अब रणनीति उन्हीं पुलों को गढ़ने की है ताकि प्रवासन दरार न बने, पुल बने। वृद्धावस्था: आसन्न लहर, टालना अब संभव नहीं :- अगले दशकों में वृद्ध आबादी लगभग पाँच में से एक तक पहुँच सकती है और 80+ वर्ग सबसे तेज़ बढ़ेगा-यह केवल अस्पतालों की समस्या नहीं; यह दीर्घकालिक देखभाल, समुदाय-आधारित सहाय और आय-सुरक्षा की समेकित परीक्षा है। यदि आज ढाँचे नहीं बने, तो कल घर-परिवार-जो सनातन जीवन-शैली का मेरुदंड है-सबसे पहले दबाव में आएँगे। यह चेतना की कोई भय-कथा नहीं, बल्कि सुविधित प्रवृत्ति है; तैयारी न हुई तो लागत और पीड़ा दोनों बढ़ेंगे। इसीलिए जैरियाट्रिक केयर मिशन, होम-केयर, डे-केयर, प्रशिक्षित केयर-वर्कफोर्स, और दीर्घकालिक देखभाल-बीमा जैसे समाधानों को अभी से स्केल-अप करना होगा-यही सेवा-परंपरा का आधुनिक विस्तार है। जागरण-सूत्र: सनातनी समाज के टोस कदम शिक्षा को लोक-निवेश बनाएँ: सार्वजनिक विद्यालय-विश्वविद्यालय में गुणवत्ता मानक, शिक्षक-क्षमता और जवाबदेही पर दृढ़ माँग; निजी संस्थानों में शुल्क-नियमन व

उपयोग के फैसले महाविद्यालयों स्वयं ले सकते हैं, जिससे प्रक्रियाएँ तेज होती हैं। संसाधन विकास: वित्तीय स्वायत्तता मिलने पर महाविद्यालय अपने संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, जैसे- बुनियादी ढाँचे और शिक्षण गुणवत्ता में निवेश, ट्यूशन फीस निर्धारण, फंड्स जुटाना, और खर्च करने के अधिकार। इससे महाविद्यालय नई योजनाओं में निवेश, में सुधार तथा नवाचार के प्रयास कर सकते हैं। जवाबदेही: स्वायत्तता के साथ महाविद्यालय अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता और परिणामों के लिए अधिक जवाबदेह (Accountable) होते हैं। चुनौतियाँ और विरोध में तर्क (Cons) गुणवत्ता नियंत्रण: एक आसानी से नहीं बढ़ती है कि स्वायत्तता का दुरुपयोग हो सकता है, और कुछ महाविद्यालय गुणवत्ता मानकों से समझौता करके अपनी सुविधा के अनुसार पाठ्यक्रम चला सकते हैं। शुल्क वृद्धि: वित्तीय स्वायत्तता मिलने पर महाविद्यालय मनमाने ढंग से फीस बढ़ा सकते हैं, जिससे गरीब

महाविद्यालयों की स्वायत्तता: उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और नवाचार का मार्ग या चुनौतियां?

लक्ष्य यह है कि वर्ष 2035 तक सभी उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) को पूर्ण संस्थागत स्वायत्तता प्राप्त हो जाए। नीति में सुझाव दिया गया है कि संबद्धता प्रणाली को 15 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा।

तीन प्रकार के HEI: इस अवधि के दौरान, संस्थानों को मुख्य रूप से तीन प्रकारों में पुनर्गठित किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक को स्वायत्तता मिलेगी: अनुसंधान विश्वविद्यालय (Research Universities), शिक्षण विश्वविद्यालय (Teaching Universities), स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालयों (Autonomous Degree-granting Colleges - ADC) ! नीति का प्रस्ताव है कि बड़े बहु-विषयक महाविद्यालयों, जो गुणवत्ता में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, उन्हें स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालयों (ADC) के रूप में विकसित किया जाएगा।

संबद्ध कॉलेजों को प्रशासनिक, वित्तीय और शैक्षिक स्वायत्तता (Autonomy) देने का विचार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण

नीतिगत बहस का विषय रहा है। संबद्ध कॉलेजों को प्रशासनिक, वित्तीय और शैक्षिक स्वायत्तता देना भारतीय उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का एक प्रमुख उपाय माना जाता है। कई शिक्षा आयोगों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि योग्य कॉलेजों को धीरे-धीरे स्वायत्तता दी जानी चाहिए।

स्वायत्तता देने के पक्ष में तर्क (Pros) शैक्षणिक नवाचार: अकादमिक स्वायत्तता से महाविद्यालयों को अपने लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम सृजित कर सकते हैं, जिससे स्थानीय जरूरतों और उद्योग की मांग के अनुसार शिक्षा संभव होती है। इससे नवाचार और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, साथ ही विद्यार्थियों को अधिक प्रयोगिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है।

प्रशासनिक दक्षता: कॉलेजों को प्रशासनिक स्तर पर स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति मिलने से उनके संचालन में पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ती है। इससे नियुक्तियों, अवकाश, आंतरिक मूल्यांकन और संसाधनों के

उपयोग के फैसले महाविद्यालयों स्वयं ले सकते हैं, जिससे प्रक्रियाएँ तेज होती हैं। संसाधन विकास: वित्तीय स्वायत्तता मिलने पर महाविद्यालय अपने संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, जैसे- बुनियादी ढाँचे और शिक्षण गुणवत्ता में निवेश, ट्यूशन फीस निर्धारण, फंड्स जुटाना, और खर्च करने के अधिकार। इससे महाविद्यालय नई योजनाओं में निवेश, में सुधार तथा नवाचार के प्रयास कर सकते हैं। जवाबदेही: स्वायत्तता के साथ महाविद्यालय अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता और परिणामों के लिए अधिक जवाबदेह (Accountable) होते हैं। चुनौतियाँ और विरोध में तर्क (Cons) गुणवत्ता नियंत्रण: एक आसानी से नहीं बढ़ती है कि स्वायत्तता का दुरुपयोग हो सकता है, और कुछ महाविद्यालय गुणवत्ता मानकों से समझौता करके अपनी सुविधा के अनुसार पाठ्यक्रम चला सकते हैं। शुल्क वृद्धि: वित्तीय स्वायत्तता मिलने पर महाविद्यालय मनमाने ढंग से फीस बढ़ा सकते हैं, जिससे गरीब

उपयोग के फैसले महाविद्यालयों स्वयं ले सकते हैं, जिससे प्रक्रियाएँ तेज होती हैं। संसाधन विकास: वित्तीय स्वायत्तता मिलने पर महाविद्यालय अपने संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, जैसे- बुनियादी ढाँचे और शिक्षण गुणवत्ता में निवेश, ट्यूशन फीस निर्धारण, फंड्स जुटाना, और खर्च करने के अधिकार। इससे महाविद्यालय नई योजनाओं में निवेश, में सुधार तथा नवाचार के प्रयास कर सकते हैं। जवाबदेही: स्वायत्तता के साथ महाविद्यालय अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता और परिणामों के लिए अधिक जवाबदेह (Accountable) होते हैं। चुनौतियाँ और विरोध में तर्क (Cons) गुणवत्ता नियंत्रण: एक आसानी से नहीं बढ़ती है कि स्वायत्तता का दुरुपयोग हो सकता है, और कुछ महाविद्यालय गुणवत्ता मानकों से समझौता करके अपनी सुविधा के अनुसार पाठ्यक्रम चला सकते हैं। शुल्क वृद्धि: वित्तीय स्वायत्तता मिलने पर महाविद्यालय मनमाने ढंग से फीस बढ़ा सकते हैं, जिससे गरीब

उपयोग के फैसले महाविद्यालयों स्वयं ले सकते हैं, जिससे प्रक्रियाएँ तेज होती हैं। संसाधन विकास: वित्तीय स्वायत्तता मिलने पर महाविद्यालय अपने संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, जैसे- बुनियादी ढाँचे और शिक्षण गुणवत्ता में निवेश, ट्यूशन फीस निर्धारण, फंड्स जुटाना, और खर्च करने के अधिकार। इससे महाविद्यालय नई योजनाओं में निवेश, में सुधार तथा नवाचार के प्रयास कर सकते हैं। जवाबदेही: स्वायत्तता के साथ महाविद्यालय अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता और परिणामों के लिए अधिक जवाबदेह (Accountable) होते हैं। चुनौतियाँ और विरोध में तर्क (Cons) गुणवत्ता नियंत्रण: एक आसानी से नहीं बढ़ती है कि स्वायत्तता का दुरुपयोग हो सकता है, और कुछ महाविद्यालय गुणवत्ता मानकों से समझौता करके अपनी सुविधा के अनुसार पाठ्यक्रम चला सकते हैं। शुल्क वृद्धि: वित्तीय स्वायत्तता मिलने पर महाविद्यालय मनमाने ढंग से फीस बढ़ा सकते हैं, जिससे गरीब

उपयोग के फैसले महाविद्यालयों स्वयं ले सकते हैं, जिससे प्रक्रियाएँ तेज होती हैं। संसाधन विकास: वित्तीय स्वायत्तता मिलने पर महाविद्यालय अपने संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, जैसे- बुनियादी ढाँचे और शिक्षण गुणवत्ता में निवेश, ट्यूशन फीस निर्धारण, फंड्स जुटाना, और खर्च करने के अधिकार। इससे महाविद्यालय नई योजनाओं में निवेश, में सुधार तथा नवाचार के प्रयास कर सकते हैं। जवाबदेही: स्वायत्तता के साथ महाविद्यालय अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता और परिणामों के लिए अधिक जवाबदेह (Accountable) होते हैं। चुनौतियाँ और विरोध में तर्क (Cons) गुणवत्ता नियंत्रण: एक आसानी से नहीं बढ़ती है कि स्वायत्तता का दुरुपयोग हो सकता है, और कुछ महाविद्यालय गुणवत्ता मानकों से समझौता करके अपनी सुविधा के अनुसार पाठ्यक्रम चला सकते हैं। शुल्क वृद्धि: वित्तीय स्वायत्तता मिलने पर महाविद्यालय मनमाने ढंग से फीस बढ़ा सकते हैं, जिससे गरीब

आधार बनाए और उसी पर रणनीति गढ़े; यही गंभीरता दीर्घकालिक सम्मान और स्थिरता दिलाती है। नीति-गवर्नेंस: कितने नहीं, कैसे पर केंद्रित जनसंख्या-नीति का केंद्र संख्या-लक्ष्यों से आगे बढ़कर परिवार-निर्माण सुगमता और मानव पूंजी पर होना चाहिए-यही वह दृष्टि है जो, प्रवासन और वृद्धावस्था को एक साथ साधती है। एक परिवार-नीति समन्वय तंत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, आवास और विदेश प्रशासन के साझा सूचकांकों पर वार्षिक लक्ष्य तय कर सार्वजनिक रिपोर्ट-काई जारी करे; समाज को पता रहे कि सुधार कहाँ हो रहे हैं और कहाँ जोर देना है-पारदर्शिता ही विवश बनानती है। अंतिम आह्वान: पाँच दीप तभी स्थिर जलेंगे : कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन से नीचे, शिक्षा-स्वास्थ्य नहीं, प्रवासन तेज और वृद्धावस्था की लहर सामने-चार दिशाओं से आती घंटियाँ एक ही संदेश दे रही हैं: अभी निर्णायक बनें। समाधान भी चारों दिशाओं से आएँ-स्कूल और अस्पतालों में सार्वजनिक विश्वसनीयता, निजी क्षेत्र में पारदर्शिता, श्रम-बाजार में गुणवत्तापरक अवसर, और परिवार-निर्णयों के लिए सामाजिक-नीतिगत सहाय; सनातनी हिंदुओं के लिए संदेश स्पष्ट है-घर, कुल, गुरु, समाज और राष्ट्र-ये पाँच दीप तभी स्थिर जलेंगे जब आँकड़ों का सच स्वीकार कर आज़ादी और व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए। आज की निर्णायकता ही कल की परंपरा की रक्षा है।

रोटेरियन सुनील दत्त गोयल, महाविदेशक, इम्प्रियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

आहारीय सूक्ष्मता तत्वों के विशालतम कर्तव्य



वीरबहादुर सिंह

पूर्व में आहार के बारे में विभिन्न दृष्टिओं से कई लेख लिख चुका हूँ वे सब फ़ीरोही पर एक वृहत् लेखन सहोदर जान आहार के बारे में दिए थे। हम सभी, आहार तो प्रतिदिन लेते हैं परन्तु ध्यान उसमें विध्यमान मुख्य पोषक तत्वों पर ही रहता है। माइक्रो अथवा सूक्ष्म और सूक्ष्ममान पोषक तत्वों की तरफ हम परवाह नहीं करते। मुख्य तत्वों की अपेक्षा सूक्ष्म तत्वों की शरीर को नाण्य सी मात्रा चाहिए होती है। लेकिन इनका कार्य कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है और कभी-कभी मुख्य तत्वों से भी अधिक। कवि बिहारी जो जयपुर में रियासत कालीन शासन में दरबारी कवि थे, एक दोहे से इन छोटी वस्तुओं के महत्व को कैसे दर्शाया है देखिये। शब्द हों अथवा वस्तु, दोहा बड़ा सटीक है :- सतसैया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर ; देखत में छोटे लगे, बेधै सकल सरीरा। यह तो मालूम नहीं कि यह दोहा उन्होंने, किस सन्दर्भ में लिखा लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्मतम के महत्व को भी अच्छे से प्रदर्शित करता है। स्थानाभाव के कारण मैं सभी सूक्ष्म और सूक्ष्मतम तत्वों का विवेचन नहीं कर सकूँगा, अतः उनमें से कतिपय ऐसे जो मौलिक हैं और जिनके बारे में वैज्ञानिक जानकारी महत्वपूर्ण है उन्हें ही विवेचना में परोसेंगे। 1 सूक्ष्म खनिज- इस वर्ग में लोहा, तांबा, कोबाल्ट, जिंक, आयोडीन, मैंगनीज, फ्लोरीन जैसे सूक्ष्म तत्व शामिल हैं। लोहा शरीर के अनेक यौगिकों में मौजूद होता है और शरीर में इन वस्तुओं की कमी से रक्त में हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को सर्वत्र शरीर की कोशिकाओं में ले जाने का कार्य करती है। तांबा भी लोहे की तरह महत्वपूर्ण है। पैंक्रियास: तांबा भी रक्त के लाल कण के साथ संयुक्त रहता है जो हीमोग्लोबिन निर्माण में सहयोगी होता है। कोबाल्ट भी एक अति सूक्ष्म खनिज तत्व है जिसकी आहार में कमी से विटामिन बी 12 के संश्लेषण में बाधा उत्पन्न हो जाती है। विटामिन बी 12 के अग्र में कोबाल्ट का तत्व मौजूद होता है। कोबाल्ट की कमी से भ्रूज में कमी, रक्त की हीमोग्लोबिन में कमी और शारीरिक कमजोरी आ जाती है। जिंक अथवा जिस्ता भी एक सूक्ष्म खनिज है जिसकी शरीर को जरूरत होती है। जिंक लाल रक्त कणों, पैंक्रियास, आमाशय की म्यूकोसल लेयर में पाया जाता है। यह कॉल्डफ्लू एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड के विखर्जन के लिए उत्तरदाई है। जिंक पैंक्रियास से लिए इन्सुलिन एंजाइम का घटक होता है जो शर्करा मेंटाबोलिज्म में महत्वपूर्ण योगदान करता है। जिंक की कमी से वृद्धि में अवरोध और आँतों से शोषण कुप्रभावित होता है। आयोडीन

का विवेचन नहीं कर सकूँगा, अतः उनमें से कतिपय ऐसे जो मौलिक हैं और जिनके बारे में वैज्ञानिक जानकारी महत्वपूर्ण है उन्हें ही विवेचना में परोसेंगे। 1 सूक्ष्म खनिज- इस वर्ग में लोहा, तांबा, कोबाल्ट, जिंक, आयोडीन, मैंगनीज, फ्लोरीन जैसे सूक्ष्म तत्व शामिल हैं। लोहा शरीर के अनेक यौगिकों में मौजूद होता है और शरीर में इन वस्तुओं की कमी से रक्त में हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को सर्वत्र शरीर की कोशिकाओं में ले जाने का कार्य करती है। तांबा भी लोहे की तरह महत्वपूर्ण है। पैंक्रियास: तांबा भी रक्त के लाल कण के साथ संयुक्त रहता है जो हीमोग्लोबिन निर्माण में सहयोगी होता है। कोबाल्ट भी एक अति सूक्ष्म खनिज तत्व है जिसकी आहार में कमी से विटामिन बी 12 के संश्लेषण में बाधा उत्पन्न हो जाती है। विटामिन बी 12 के अग्र में कोबाल्ट का तत्व मौजूद होता है। कोबाल्ट की कमी से भ्रूज में कमी, रक्त की हीमोग्लोबिन में कमी और शारीरिक कमजोरी आ जाती है। जिंक अथवा जिस्ता भी एक सूक्ष्म खनिज है जिसकी शरीर को जरूरत होती है। जिंक लाल रक्त कणों, पैंक्रियास, आमाशय की म्यूकोसल लेयर में पाया जाता है। यह कॉल्डफ्लू एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड के विखर्जन के लिए उत्तरदाई है। जिंक पैंक्रियास से लिए इन्सुलिन एंजाइम का घटक होता है जो शर्करा मेंटाबोलिज्म में महत्वपूर्ण योगदान करता है। जिंक की कमी से वृद्धि में अवरोध और आँतों से शोषण कुप्रभावित होता है। आयोडीन

महत्वपूर्ण सूक्ष्म तत्व हैं परन्तु शरीर को इसकी बहुत कम मात्रा चाहिए होती है। रक्त में तो यह कम मात्रा में लेकिन थाराइयड (गूदाग्रंथि) में अधिक थयराइक्सिन हार्मोन के रूप में मौजूद रहता है। 2. विटामिन : लाल विलेय और वसा विलेय दोनों प्रकार के विटामिन खाद्य पदार्थों में मिलते हैं उनकी मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि अमुक आहार में कौन से अवयव अधिक अथवा न्यून मात्रा में हैं। आहार में वसा और तेलीय अंश अधिक होने पर वसा विलेय विटामिन की प्रचुरता स्वाभाविक होती है। वहीं वनस्पतिक खाद्यों में जलीय विटामिन अधिक होते हैं। ध्यान रहे वसा विलेय विटामिन श्रेणी में विटामिन ए, डी, इ और के आते हैं। 3. विटामिन ए का मूल स्रोत केरोटीन (पीला हरा पिपेट/रंजक) है, पत्तेदार, लाल रंगी सब्जियाँ, गाजर, मटर, टमाटर, पपीता, मीथी, पालक, सरसों और बथुआ का साग इसके मुख्य स्रोत हैं। आँखों की ज्योति और रेटिना के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए अतिव्यंत जरूरी है। वृद्धि काल में विटामिन ए की कमी से बच्चे की बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लम्बे समय तक कमी से रतोदी रोग, यकृत में खराबी, रक्त का न बनना लक्षण दृष्टिगोचर होने लगते हैं। विटामिन डी भी महत्वपूर्ण वसा विलेय विटामिन है यह हड्डियों के विकास में मुख्य तत्व है। कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम के अवशोषण व् चयापन में विटामिन डी महत्वपूर्ण होता है। विटामिन ई यह विटामिन अंकुरित अनाजों में प्रचुरता से मिलता है और मनुष्यों में प्रजनन प्रणाली की वृद्धि और उसकी

क्रियाशीलता वृद्धि में खास योगदान करती है संभवतः यह प्रजनन सम्बन्धी हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की समृद्धि में सहायक है। लम्बे समय तक इसकी कमी से दोनों पक्षों में बांझपन के लक्षण उभर आते हैं। 4. विटामिन के- यह वसा विलेय विटामिन कैल्शियम की मेटाबोलिज्म में बहुत सहायक होती है आयु बढ़ने पर आँतों से कैल्शियम का अवशोषण काफी घट जाता है ऐसे में विटामिन के कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ा कर उसे हड्डियों में स्थापित करने में सहायक होता है। विटामिन बी 1 ध्यानमिल कहलाता है। गाय के खीस में दूध की अपेक्षा डेढ़ गुना अधिक विटामिन बी 1 होता है। विटामिन बी 2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। खमीर, अंडा हरी सब्जि, लिंवर, पुर्दे, माखन सहित सभी दुग्ध पदार्थों में होता है। कोलिन- यह एक अवयवक तत्व है जो ब्रेन, लिंवर और नर्वस के कार्य में सहायक है। शरीर अपने से इसका निर्माण नहीं कर सकता। पैंटोथेनिक एसिड- यह विटामिन शरीर में एनर्जी उत्पन्न करने के लिए अनेक कार्य संपन्न करता है, जिसमें खास, प्रोटीन और कार्बाहायड्रेट का विघटन प्रमुख क्रियाएँ हैं। लाल रक्त बनाने, नाखून और बालों को जिवंत बनाये रखने के लिए एक करता है। बायोटीन - वसा अम्ल और ग्लूकोस जो शरीर में ईंधन के रूप में वसूली अम्ल, ग्लूकोस और पॉर्निन अम्ल मेटाबोलिज्म में कारगर है। पिरिडॉक्सिन -इसको विटामिन बी 6 भी कहते हैं पोषक तत्वों की

मेटाबोलिज्म, प्रतिरोधक प्रणाली और ब्रेन व नर्व के निर्माण में आवश्यक होता है। शरीर में इसकी जरूरत आहार से ही आपूर्ति होती है। अनेकों न्यूरो-ट्रांसमिटरों (सेरोटोनिन, डोपामिन और गाबा) के उत्पादन में यह सहायक होता है। फोलिक एसिड -यह विटामिन जन्म दोषों को रोकने में मदद करता है जो मास्टिस्क और रीढ़ की हड्डी से सम्बंधित होते हैं। गर्भावस्था की पूरी अवधि में विशेष तौर पर पहले 12 सप्ताह इस विटामिन की गोली लेने से गर्भवती महिला अच्छा महसूस करती है। विटामिन बी 12 - रासायनिक नाम मिथाइल कोबालमीन या सीनो कॉबलमीन भी है। यह एक जरूरी विटामिन है जो तंत्रिका तंत्र के कार्य, लाल रक्त कणों का निर्माण, नर्वस सिस्टम की कार्य प्रणाली और डीएनए उत्पादन में मदद करता है। विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड - यह कार्बोहायड्रेट का डेरीवेटिव है और इसकी मौजूदगी रक्तवी नामक लक्षणों को उत्पन्न नहीं होने देती। रक्तवी रोग में कैपिलरी दीवार अत्यधिक कमजोर होकर उनसे रक्त र्राव होने लगता है, दांत ढीले और हड्डियाँ टूटने के कारण पर, मसूड़ों में प्योरिआ और जीवाणु संक्रमण की सम्भावना बढ़ जाती है।फल, संतर्प, अमरद, आमला, नींबू, सेव, अ